रोजगार प्रदाता संस्थानों के दृष्टिकोण से वर्तमान बोर्ड एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन

''जीवन अगर बचाना है, तो मास्क जरूर लगाना है''

शिक्षा शास्त्र में

पीएच.डी. की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रारूप

शोध निर्देशिकाः

शोधार्थी

JV'n ममता शर्मा

शिक्षा शास्त्र संकाय

ज्योति महिला विद्यापीठ, जयपुर

(मान्य विश्वविद्यालय) जयपुर, राजस्थान

वर्ष–2020–2021

रोजगार प्रदाता संस्थानों के दृष्टिकोण से वर्तमान बोर्ड एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन

1. प्रस्तावना :

प्रदेश में रोजगार प्रदाता संस्थानों में एन.सी.एस. परियोजना मिशन मोड़ परियोजना है जो कि राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी करती है। जिसमें वर्तमान बोर्ड और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। नेशनल करियर सर्विस (NCS) यह स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए सम्पूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है। जिसमें स्थानीय बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम भी शामिल होता है।

संस्थानों में सेवा प्रदाता का निः शुल्क एवं सुगमता से पंजीकरण किया जाता है। जिसमें सेवा अनुरोधों को प्राप्त करना तथा सेवा का चयन करना शामिल होता है। सेवा खोजने वालों को आवश्यकतानुसार पोर्टल पर चौबीस घण्टे सेवाओं का विवरण दिखाई देता है। जिसमें वांछित क्षेत्र, उपलब्धता, समय और नियुक्ति के विकल्प को चयन करने का अधिकार होता है।

एन.सी.एस. पोर्टल उपयोगकर्ता द्वारा साझा की गई सूचना डेटा के आधार पर सूचना प्रदान करते है। भारत सरकार साझा की गई सूचना के लिए उत्तरदाई नहीं है। उपयोगकर्ता द्वारा पोर्टल पर डेटा प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त हुए सभी प्रत्युत्तर किसी क्रियाकलाप हेतु वहन किए गए किसी व्यय की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा। भारत सरकार तथा अन्य सेवा प्रदाता इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदरी नहीं लेते है। प्रस्तुत सूचना के प्रस्तुतीकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से एन.सी.एस. पोर्टल पर सूचना की दिखावट, डिजाइन, विशिष्टता, चित्रण और वर्गीकरण में परिवर्तन करने का अधिकार है।

वर्तमान पाठ्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक ओर नए रोजगार सृजित कर प्रोत्साहन दे रही है, वही लोगों को सीधे वित्तीय मदद पहुंचा रही है। सन् 2014 में रोजगार प्रदाता संस्थानों ने अपने औपचारिक संगठन में लोगों की सकारात्मक भागीदारी की सराहना की है। वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली का रोजगार के संन्दर्भ में विवेचन किया जाता रहा हैं।

वर्तमान बोर्ड एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में रोजगारोंन्मुखी शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे व्यस्क युवा रोजगार के लिए पंजीकृत हो सकें। राज्य सरकार ने NCS पर अपने रोजगार विनियम पंजीकरण डेटा को स्थानान्तरित कर दिया है। सुधार करने के उद्देश्य से यह सूचना, व्यक्तिगत, जनांकिकीय, तकनीकी प्रयोगकर्ता अनुभव द्वारा बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं।

नेशनल करियर सर्विस (NCS) का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में संचालित किया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित बिन्दु प्रमुखता से शामिल होते है।

(i) गोपनीयता नीति

(ii) कॉपीराइट नीति

(iii) हाइपर लिकिंग नीति

(iv) विषय सामग्री समीक्षा तथा अनुमोदन नीति

(v) विषय सामग्री की अभिलेखागार सम्बन्धी नीति

(vi) निबंधन और शर्ते

भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था के तीन स्तर है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। जिसमें से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा स्कूल स्तर पर प्रदान की जाती है, जबकि उच्च शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाती है।

शिक्षा प्रदाता दो प्रकार के होते है। सरकारी और निजी। निजी स्कूल सरकार के आंशिक वित्त पोषण से संचालित होते है। जिन्हें एडेंड कहा जाता है और पूर्ण रूप से स्ववित्त पोषित भी हो सकते है, जिन्हें अनएडेड कहा जाता है। सरकारी स्कूलों की स्थापना और प्रबंधन सरकार करती है इन्हें अनुदान भी देती है। सरकार के पास शिक्षा की सार्वभौमिक सुविधा प्रदान करने के लिए संसाधन सीमित होते है। जिसके बाद निजी क्षेत्र की मदद ली जाती है।

अधिकार अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र के लाभ के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। परन्तु निजी क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निःस्वार्थ भाव से कार्य करें। शैक्षिक संस्थान उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते है एन.सी.डी.आर.सी. को धारण करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि कोचिंग संस्थानों को छोड़कर शैक्षणिक संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं होंगें।

ट्रिब्यूनल के अवलोकन विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शैक्षिणिक संस्थानों के खिलाफ रोजगारोन्मुखी शिक्षा का दावा कर सकते है। यह स्पष्ट किया गया कि भले ही इन पाठ्यक्रमों की पेशकश में निजी निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कोई दोष शिक्षण संस्थानों में शामिल किए जाए।

संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत जिन विषयों को शामिल किया गया है। उनमें से शिक्षा भी है। इसका अर्थ है कि शिक्षा से सम्बन्धित कानूनों को केन्द्र और राज्य दोनों बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त

उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने का शासनादेश केन्द्र को दिया गया जो कि संघ सूची का विषय है।

2. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययनः

- राज कौशल योजना, 2020 राज्य के निवासियों को घर के नजदीक के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ''राज कौशल योजना'' आरम्भ की गई। जो कि संस्थान / फर्म/ कम्पनी /व्यवसायी/व्यक्ति विशेष आदि को आवश्यकतानुसार स्थानीय कार्मिक उपलब्ध करवाना है।
- Rajasthan Labour Employment Exchange, 2018-19 यह प्रदेश में उपलब्ध सभी सेवा श्रेणियों की जनशक्ति/श्रमिक/नियोक्ताओं का एक मास्टर डेटाबेस है। राज्य सरकार के पास विभिन्न प्रकार की जनशक्ति सनिमर्माण श्रमिक/ कोविड प्रवासी श्रमिक/ पंजीकृत बेरोजगार / RSLDC/ITI इत्यादि का डाटा रोजगार संस्थानों को उपलब्ध करवाया जाता है।
- राजस्थान रोजगार मेला, 2020–21 सेवा योजना कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यार्थियों एवं नियोजकों को एक ही जगह आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। जिसमें बेरोजगार युवा अपनी कम्पनियों के द्वारा रोजगार पाते है। शिक्षा के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा जिसमें B.A. B.Sc. B.Com, M.A. और डिप्लोमा इसका लाभ उठा सकते है।

- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, 29 सितम्बर, 2018 को एसौंचेम के अनुसार देश में 40 मिलियन कार्यरत पेशेवरों की कमी होगी। व्यावसायिक शिक्षा एक प्रणाली या अध्यान के पाठ्यक्रम को सन्दर्भित करती है जो कि व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित नौकरियों के लिए व्यक्तिगत रूप से डाटा तैयार करती है। एक अनुमान के मुताबिक 21वीं सदी में केवल वे लोगा जो किसी भी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ अपनी जॉब सुरक्षित कर सकते हैं।

3. समस्या का औचित्यः

- भारत में पारम्परिक शिक्षा प्रणाली युवाओं की संक्रमण मांग और आकांक्षाओं को जारी रखने में समक्ष नहीं है। देश में युवा, वित्तीय और अन्य पारिस्थितियों के कारण स्कूल और कॉलेज छोड़ देते है। व्यावसायिक प्रशिक्षण युवाओं को सीखने या लिखाने में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, आई.टी.आई., हॉस्पिटैलिटी, हैल्थकेयर टेलीकॉम इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल सीखना हमारे युवाओं को रोजगार खोजने या व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाता है।
- वर्तमान बोर्ड एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शैक्षणिक डिग्री एक अच्छा विकल्प हो सकती है। जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा अध्ययन का रास्ता खुल जाता है। एक व्यावसायिक स्कूल जिसे एक व्यापार स्कूल कैरियर संस्थान और व्यावसायिक कॉलेज भी कहा जाता है। जो कि एक शैक्षिक संस्थान है। विश्वविद्यालय में सन् 1990 में अकादमिक विकसित करने के लिए छात्रों में तकनीकी कौशल की व्यापक तैयारी की ओर कदम बढ़ाना आरंभ कर दिया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बोर्ड तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इस दृष्टि से शोधकर्ता द्वारा इस समस्या को युक्ति संगत समझा गया है। जिस पर लघु शोध कार्य करने का निर्णय लिया है। अतः प्रस्तावित समस्या वर्तमान समय की आवश्यकता और औचित्यपूर्ण है।

4. समस्या कथनः

''रोजगार प्रदाता संस्थानों के दृष्टिकोण से वर्तमान बोर्ड एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन''

5. तकनीकी शब्दों का परिभाषिकरणः

(i) वर्तमान बोर्ड व्यवसाय या वास्तविक जीवन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार के लिए शैक्षणिक संस्थान विकसित किए गये। 1975 में स्कूल शिक्षा कानून को मौजूदा स्कूलों में सुधार के लिए संशोधित करना।

(ii) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम – बदलने परिवेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से पाठ्यक्रम को व्यवसायिक बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की है। जिसमें स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय में वित्त, मनोरंजन, विनिर्माण, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, आई.टी., बीमा, इत्यादि व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पेश करने की योजना है।

6. समस्या से उभरने वाले प्रश्नः

(i) क्या वर्तमान बोर्ड और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रोजगार प्रदान करने में सबसे अहम् भूमिका निभा सकती है।

(ii) क्या रोजगार प्रदाता संस्थान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी व्यवसाय स्थापित कर सकते है।

(iii) क्या वर्तमान युवा पीढ़ी शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार की तलाश में अपना अमूल्य समय दे रही है।

(iv) क्या राज्य और केन्द्र सरकार दोनों साझा प्रयास करके युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते है।

7. **किसी भी शोध कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने तथा उसे अंतिम रूप देने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रस्तावित शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैः–**

(i) वर्तमान में रोजगार प्रदाता संस्थानों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

(ii) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने वाले संस्थानों का अध्ययन करना।

(iii) वर्तमान पाठ्यक्रम को व्यावसायिक बनाने पर एवं रोजगार प्रदान करने का सकारात्मक अध्ययन करना।

8. परिकल्पनाएँ:

प्रस्तावित लघुशोध प्रबन्ध में शून्य परिकल्पना का प्रयोग किया जाएगा। अतः प्रस्तावित शोध कार्य की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित प्रकार हैः–

(i) सरकारी और निजी विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

(ii) रोजगार प्रदाता संस्थान वर्तमान में व्यवसायिक होकर भी पूर्णतः बेरोजगारी का समानता नहीं कर पा रहा है।

(iii) पाठ्यक्रम वर्तमान में विश्लेषणात्मक होकर भी रोजगार प्रदान करने में काबिल नहीं हो पाया हैं

(iv) ग्रामीण तथा शहरी ही क्षेत्र में संचालित पाठ्यक्रम में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

(v)

9. शोध विधि:

शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित लघुशोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा। जो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित होगी।

10. जनसंख्या:

प्रारम्भिक लघुशोध कार्य में जयपुर जिले की सरकारी और निजी क्षेत्र में संचालित विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का अध्ययन सम्मिलित किया जायेगा।

11. न्यादर्श:

प्रस्तावित लघुशोध प्रबन्ध में सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया जाएगा। जिसका सुझाव उद्देश्य रोजगार प्रदान करता है।

12. शोध के उपकरण

प्रस्तावित लघुशोध कार्य में शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित (व्यक्तिगत) प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा।

13. सांख्यिकीय विधियों:

प्रस्तावित लधु शोध कार्य में निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग शोध किया जाएगा, जिनमें (1) मध्यमान (2) प्रकासक विचलन (3) टी–परीक्षण

14. परिसीमांकन:

प्रस्तावित लघुशोध को निम्नलिखित सीमाओं में बांधकर अध्ययन किया जाएगा।

(i) प्रस्तावित लघुशोध कार्य केवल जयपुर जिले में स्थापित विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण तक ही सीमित रहेगा।

(ii) प्रस्तावित लघुशोध कार्य में केवल सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में संचालित पाठ्य को ही अध्ययन में शामिल किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित लघुशोध कार्य में केवल सरकारी और गैर सरकारी विश्वविद्यालय में 20 का ही शोध कार्य में अध्ययन किया जाएगा।

(iv) प्रस्तावित लघुशोध कार्य में स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

15. अध्यायों का वर्गीकरण–

प्रस्तावित शोध कार्य पाँच अध्यायों में पूर्ण किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।–

प्रथम अध्याय : समस्या की पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

1.2 समस्या का औचित्य

1.3 समस्या कथन

1.4 तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण

1.5 समस्या से उभरने वाले प्रश्न

1.6 शोध के उद्देश्य

1.7 शोध की परिकल्पनाएँ

1.8 परिसीमांकन

द्वितीय अध्याय: सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

2.1 प्रस्तावना

2.2 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषाएं

2.3 सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत

2.4 सम्बन्धित साहित्य के लाभ

2.5 सम्बन्धत साहित्य का अध्ययन

तृतीय अध्याय : अनुसंधान की योजना एवं कार्य विधि :

3.1 प्रस्तावना

3.2 शोध में प्रयुक्त विधि

3.3 जनसंख्या एवं न्यादर्श

3.4 प्रयुक्त उपकरण

3.5 अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

चतुर्थ अध्याय : प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्याः

4.1 प्रस्तावना

4.2 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

पंचम अध्याय : शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव :

5.1 प्रस्तावना

5.2 शोध से प्राप्त निष्कर्ष

5.3 शैक्षिक निहितार्थ

5.4 भावी शोध हेतु सुझाव

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. कटारिया, एल.आर. (1979), ''सांख्यिकी'', चतुर्थ संस्करण, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड़ मेरठ, 250002
2. ढौड़ियाल, सच्चिदानन्द व फाटक अरविन्द (1972), ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र'', चतुर्थ संस्करण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर–8
3. थ्संह, अरूण कुमार (2002), ''आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान'' मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड़, दिल्ली।
4. जरशिल्ड, ए.टी. (1977), ''किशोर मनोविज्ञान'' प्रथम संस्करण, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी कदमकुआं, पटना।
5. भार्गव, महेश (1983), ''आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'', द्वितीय संस्करण, भार्गव बुक हाउस, राजामण्डी, आगरा।
6. क्पिल, एच.के. (1979) ''अनुसंधान विधियाँ'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
7. वर्मा, प्रीति व श्रीवास्तव डी.एन. ''मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी'', सोलहवां संस्करण, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
8. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2008), ''आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएं और संमाधान'', पंचम संस्करण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. भटनागर, सुरेश (2008), ''भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास'', आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
10. पाण्डेय, रामशकल एवं मिश्र, करूणा शंकर भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	
2	सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन	
3	समस्या का औचित्य	
4	समस्या कथन	
5	तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण	
6	समस्या से उभरने वाले प्रश्न	c
7	शोध के उद्देश्य	
8	परिकल्पनाएं	
9	शोध विधि	
10	जनसंख्या	
11	न्यादर्श	
12	शोध के उपकरण	
13	सांख्यिकी	
14	परिसीमांकन	
15	अध्यायों का वर्गीकरण	
16	सन्दर्भ ग्रंथ सूची	